भारतीय मजदूर संघ

के

बढ़ते चरण

—दत्तोपन्त ठेंगडी

अध्याय १

भारतीय मजदूर संघ के बढ़ते चरण

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के पूर्व भारत के मजदूर क्षेत्र पर राजनैतिक यूनियनवाद हावी था। मान्यता प्राप्त केन्द्रीय मजदूर संगठन विभिन्न राजनैतिक दलों व गुटों के अंग थे। मजदूर यूनियनों के इस झुकाव के कारण मजदूरों के हितों के असली कार्य की अपेक्षा यूनियनों की बहुलता तथा राजनैतिक महत्व को प्रोत्साहन अपरिहार्य था। इसके कारण मजदूर प्रायः विभिन्न दलों के सत्ता के खेल के मोहरा बन जाते थे। इस राजनीतिक शोषण और अपने हितों की उपेक्षा देखकर जागृत मजदूरों ने नाराजगी प्रकट की। वे यथार्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर आधारित एक राष्ट्रीय केन्द्र अर्थात मजदूरों का, मजदूरों द्वारा, मजदूरों के लिए संचालित मजदूर संगठन के अभ्युदय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे राजनैतिक यूनियनवाद के साथ-साथ आर्थिक यूनियनवाद अर्थात रोटी-मक्खन यूनियनवाद के भी खिलाफ थे। वे राष्ट्रनीति और लोकनीति के पक्ष धर थे। वे राष्ट्रीय हितों के ढाँचे के अन्तर्गत मजदूर हितों की सुरक्षा और अभिवृद्धि चाहते थे। वे दोनों (राष्ट्र हित व मजदूर हित) के बीच कोई विरोध नहीं समझते थे। वास्तव में औद्योगिक सम्बन्धों में शामिल सभी पक्ष राष्ट्रीय जीवन के अंग हैं और उनका वर्गीय हित राष्ट्र हित के एक रूप ही है। वे समाज को औद्योगिक सम्बन्धों का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समझते थे तथा उपभोक्ता के हितों को राष्ट्रीय आर्थिक हित के निकटतम मानते थे। वे यह भी मानते थे कि देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ग हितों के प्रातेनिधित्व करने वाले विभिन्न जन-संगठन राजनीतिक दलों की चौध-राहट से मुक्त रहें। ऐसे ही विचार वाले कुछ लोग २३ जुलाई, १९५५ (तिलक जयन्ती दिवस) को भोपाल में एकत्रित हुए और उन्होंने एक नए राष्ट्रीय मजदूर संगठन केन्द्र, भारतीय मजदूर संघ के स्थापना की घोषणा की।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को नई सामाजिक प्रणालियाँ और दार्शनिक सूत्र विकसित करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिभाओं की योग्यता पर पूर्ण विश्वास था। वे अपने देशवासियों को पश्चिमी अवधारणाओं, शब्दावलियों और विचारधाराओं की बौद्धिक दासता से मुक्त कराना चाहते थे। वे पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों से मुक्त होकर आगे बढ़ने हेतु दृढ़प्रतिज्ञ थे। पश्चिमी देशों के भोंड़े भौतिकवाद के खिलाफ थे और यह महसूस करते थे कि भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव में आन्तरिक संघर्षों से मुक्त कोई स्वस्थ सामाजिक ढाँचा विकसित कर पाना सम्भव नहीं है। एकात्म मानववाद के सिद्धान्तों पर आधारित भारतीय सामाजिक रचना की वैज्ञानिकता और अन्ततोगत्वा उसकी सफलता में उनका अटूट विश्वास था।

भारतीय दर्शन से प्रेरित इस नये आन्दोलन के प्रवर्तकों ने वर्ग की धारणा को अस्वीकार किया। वे समाज के स्तरों में विभाजन के बजाय एकात्मक व्यवस्था को मानते थे। अस्तु, वे न तो वर्ग संघर्ष के पोषक थे और न ही वर्ग-सहयोग के पक्षधर। उन्होंने घोषित किया कि वर्ग अवधारणा वास्तविक नहीं, काल्पनिक है और उसका अन्तिम परिणाम राष्ट्र का विघटन है। साथ ही उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन के विविध अंगों के चंद सुविधा प्राप्त लोगों के हितों को ही राष्ट्रीय हित मानने से इन्कार किया। उनके विचार से राष्ट्र के आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर घटक का जीवन स्तर ही राष्ट्रीय समृद्धि का स्तर आंकने की कसौटी है। वे मानते थे कि पिछड़े, दबे लोगों की स्थिति सुधारने के लिए यथासम्भव सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को अपनायेंगे और जहाँ आवश्यक होगा-संघर्ष को। शोषण,अन्याय और विषमता की समाप्ति होनी चाहिए। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। देश में न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात एक-दस (१:१०) से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी इजारेदारियों का उन्मूलन किया जाना चाहिए और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी की समस्या का निराकरण कुशलता के साथ युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए।

उन्होंने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने, स्वचालितीकरण पर उचित प्रतिबन्ध और अभिनवीकरण पर रोक, योजना निर्धारण में कृषि को उपयुक्त प्राथमिकता देने, विशाल पैमाने पर ग्रामीण विकास और आवास कार्य-क्रमों के क्रियान्वयन, लघु सिंचाई योजनायें प्रारम्भ करने और

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, स्थानीय मानव शक्ति और उपयुक्त तकनीकी की मदद से श्रम पर आधारित कुटीर, बन, ग्रामीण, लघु और कृषि उद्योग को प्रारम्भ करने, अधिक लोगों द्वारा अधिक उत्पादन दोनों पर समान जोर देने, न कि केवल राष्ट्रीय उत्पादन को ही महत्व देने, भूमि सुधार कानूनों को कड़ाई से क्रियान्वयन और अतिरिक्त तथा कृषि योग्य जमीन का विशेषकर खेति-हर मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मजदूरों में तत्काल वितरण करने, न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत प्राप्त सुरक्षा का दायरा कृषि मजदूरों और अन्य असंगठित तथा असुरक्षित मजदूरों तक बढ़ाने तथा नवीन कर्ज मुक्ति कानून के प्रचलन की माँग की।

औद्योगिक मजदूरों के लिए उन्होंने नौकरी की सुरक्षा, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन, कार्य मूल्यांकन के आधार पर वेतन, विलम्बित वेतन के रूप में बोनस का अधिकार, वास्तविक वेतन की आश्वस्ति के लिए मूल्यबृद्धि का समानुपातिक मँहगाई भत्ता, विशाल पैमाने पर औद्योगिक आवास-निर्माण, तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की माँग रखी।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सम्मेलन ने निम्नलिखित सुझाव भी दिये :–

[१] समस्त आय पर सीमा (सीलिंग) लगाना।
[२] घरेलू बचतों की दर में बृद्धि और उनके औद्योगिक निवेशों में उपयोग।
[३] समस्त उपलब्ध क्षमता का सर्वाधिक उपयोग।
[४] सभी प्रकार के भड़ें, दिखावटी, विलासिता और अनावश्यक खर्चों पर रोक।
[५] उपभोग–कर लागू करना।
[६] सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करना तथा समस्त कर ढांचे का अभिनवीकरण।
[७] घाटे की अर्थ व्यवस्था में कमी करना।
[८] कठोर प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा काले धन की समानान्तर अर्थ व्यवस्था की समाप्ति।
[९] करबंचकों, कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों, जमाखोरों, तस्करों, सट्टेबाजों, मिलावट करने वालों तथा अन्य भ्रष्ट समाज विरोधी व असामाजिक

तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही ।

[१०] विलासिता सामग्री के उद्योगों पर प्रतिबन्ध और उपभोक्ता सामग्री के उद्योगों को प्रोत्साहित करना ।

[११] उपभोग की रचना में उचित परिवर्तन और स्वदेशी, सादगी तथा मितव्ययिता की भावना को प्रोत्साहन ।

सम्मेलन ने इस सरकारी तर्क को मानने से इन्कार किया कि प्रत्येक वेतन वृद्धि का अनिवार्य परिणाम, मूल्य वृद्धि और रोजगार की सम्भावनाओं के अवसर में कमी होती है । सम्मेलन ने दृढ़ता के साथ कहा कि वेतन वृद्धि उसी हद तक मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, जहाँ तक वह (वेतन वृद्धि) उत्पादकता वृद्धि से अधिक है । सम्मेलन ने माँग की कि रोजगार, पूँजीनिवेश, उत्पादकता, मूल्य और आय/वेतन पर एकीकृत राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिए सभी आर्थिक हित पक्षों का गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय । सम्मेलन का स्पष्ट मत था कि 'जनता की योजना बनाने का यही एक तरीका है' ।

सम्मेलन ने राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के विकास और क्रियान्वयन पर जोर दिया । अपने पूर्णतः गैर राजनीतिक चरित्र के आधार पर सम्मेलन ने घोषणा की कि किसी भी विधिवत निर्वाचित सरकार के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रत्युत्तरीय सहयोग (Responsive cooperation) का रहेगा, चाहे जो भी दल सत्तारूढ़ हो ।

सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि इस नये आन्दोलन का दृष्टिकोण रचनात्मक होगा, न कि आन्दोलनात्मक । औद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है । एक राष्ट्रवादी संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ यह प्रयास करेगा कि बिना उचित कारण के उत्पादन में बाधा न पहुँचे । मजदूर क्षेत्र में हिंसा, तोड़-फोड़ और अन्य समाज विरोधी कार्यों का वह विरोध करेगा, लेकिन वह हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकार, जो मजदूरों का मौलिक अधिकार है, पर अलोकतांत्रिक प्रतिबन्ध का विरोधी है । भारतीय मजदूर संघ के मत में इसके स्थान पर ऐसी उपयुक्त व्यवस्था बनाई जाय, जिसके कारण हड़ताल करने को निष्प्रभावी बनाया जा सके तथा हड़ताल की स्थिति ही उत्पन्न न हो सके ।

अध्याय २

शून्य से प्रारम्भ

संस्थापक सदस्यो के इन दृढ़ निश्चयों तथा दूर दृष्टि के बावजूद यह एक तथ्य था कि २३ जुलाई १९५५ को भारतीय मजदूर संघ के साथ सम्बद्ध एक भी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं थी। इसे एकदम प्रारम्भ से शुरू करना था।

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी चारों केन्द्रीय श्रम संगठन पहले से विद्यमान और कार्यरत मजदूर यूनियनों के समूह भाग थे। इनमें से किसी को एकदम शुरू से प्रारम्भ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फलस्वरूप एक नया केन्द्रीय श्रम संगठन बनाने का निश्चय ही सम्बन्धित लोगों के लिए दुस्साहस करने के समान लगा। पुराने ट्रेड यूनियन नेताओं ने इस घोषणा का मजाक भी उड़ाया और उपेक्षा भी की।

भारतीय मजदूर संघ का ढाँचा नीचे से ऊपर विकसित हुआ। ऊपर से नहीं थोपा गया जैसा कि साधारणतया होता है। प्रारम्भ में स्थानीय स्तर पर छोटी यूनियनें बनाई गयीं। इनके गठन के बाद बड़ी यूनियनें तथा प्रान्तीय स्तर के औद्योगिक महासंघ, प्रातीय स्तर पर भारतीय मजदूर संघ की इकाइयाँ तथा भारतीय औद्योगिक महासंघों का गठन किया गया। पूरे १२ वर्ष बाद पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें पहली बार भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी गई। इन समस्त वर्षों में भारतीय मजदूर संघ बिना किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अखिल भारतीय पदाधिकारियों के ही कार्य करता रहा। एकदम शून्य से संगठन खड़ा करने का यह प्रयोग भारत के सार्वजनिक जीवन में अपने ढंग का अकेला एवं अद्वितीय रहा है। भारतीय मजदूर संघ के प्रारम्भिक कार्यकर्त्ताओं की दशा अत्यन्त दयनीय थी। सेवायोजकों द्वारा तुरन्त उत्पीड़न, सरकार का सामान्य विरोध, मजदूरों

का स्वाभाविक संदेह, प्रतिष्ठापित यूनियनों द्वारा पूर्ण उपेक्षा, उपहास और घोर विरोध और इनके साथ भौतिक व मानवीय संसाधनों का अभाव भी था। तथापि इन प्रतिकूलताओं के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने धीरज, संतुलन और निश्चय को नहीं छोड़ा। अपने उत्साह के बावजूद भी वे उन जगहों पर नई यूनियन शुरू करने से बचते रहे, जहाँ पर इसके कारण सम्बन्धित मजदूरों के हितों को तुरन्त हानि पहुँचने की सम्भावना थी। इसके विपरीत उनका विचार था कि यदि पूर्व स्थापित यूनियनें ठीक प्रकार से मजदूरों का हित नहीं कर रही हैं, तब वे किसी भी विपत्ति को बड़ा खतरा न मानकर खतरा उठाने को तैयार रहते थे। उनका विश्वास था—**जब श्रेष्ठतम लोग कष्ट उठाते हैं तभी दूसरों की उन्नति होती है।**

अध्याय ३

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद

राष्ट्रीय क्षितिज पर भारतीय मजदूर संघ के उदय के साथ ही मजदूर क्षेत्र में कुछ नये प्रतीक उभरे, जो अब तक अज्ञात थे।

उन दिनों लाल झण्डा अपने संघर्षों और दलीय तानाशाही की अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर मजदूरों के आकांक्षाओं का प्रतिनिधि समझा जाता था। इण्टक का तिरंगा मजदूरों के मस्तिष्क में सही या गलत ढंग से प्रतिष्ठान व सत्ता की सहायता करना ही मजदूरों का कार्य है, का द्योतक था। भारतीय मजदूर संघ ने भगवा झण्डा फहराया ,जो विश्व प्रेम, त्याग और आत्म बलिदान का परम्परागत प्रतीक रहा है। भगवा रंग भारतीय जीवन मूल्यों में सर्वोत्कृष्ट एवं महानतम गरिमा का परिचायक है। भारतीय मजदूर संघ का चिन्ह भी भारतीय प्रवृत्ति का प्रतीक है। जहाँ उसका औद्योगिक चक्र औद्योगीकरण का प्रतीक है, बाली कृषि और सामान्य समृद्धि का तथा बन्द मुट्ठी मजदूरों की एकता का, वहीं वास्तविक जोर मानव के बलिष्ठ अंगूठे पर दिया गया है। अगर मनुष्य को अंगूठे का बरदान न मिला होता तो किसी भी औजार, शस्त्र और उत्पादन के साधन का विकास नहीं हो सकता था। केवल मनुष्य ही इन उपकरणों को विकसित कर सका क्योंकि उसके पास अंगूठा है। इन अर्थों में मनुष्य का अंगूठा ही सभी यंत्रों, हथौड़े, हसिये, हल, चरखा, चक्र या स्पुतनिक जैसे सभी यंत्रों का मूल है। अभी तक किसी अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्र के प्रतीक में मनुष्य के किसी अंग को स्थान नहीं मिला है।

यह दुखद आश्चर्य का विषय था कि तीन दसकों के इतिहास के बावजूद भारतीय मजदूर आन्दोलन अपना राष्ट्रीय श्रम दिवस नहीं खोज सका था। जब कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की जन्मभूमि अमेरिका में भी मजदूर अपना

राष्ट्रीय श्रम दिवस सितम्बर के पहले सोमवार को मानते हैं। हमारे देश में 'विश्वकर्मा दिवस' राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाते अनंतकाल से मनाया जाता रहा है। आज भी देश के अन्यान्य कारखानों के विभिन्न धर्मावलम्बी मजदूर, यहाँ तक कि योरोपियन कर्मचारी भी इस पवित्र दिन पर अपने औजारों व मशीनों की पूजा करते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने साहस के साथ इस दिवस को प्रस्तुत किया। और हर्ष की बात है कि इसे मजदूरों ने व्यापक रूप में स्वीकार किया। यद्यपि कुछ तथाकथित प्रगतिशील मजदूर नेता अभी भी इस विषय पर हिचकिचा रहे हैं।

श्रमिकों में राष्ट्रीय चेतना का स्तर उठाने की समस्या के प्रति ट्रेड यूनियन नेतृत्व कितना अधिक लापरवाह रहा है, इसकी कल्पना इसी तथ्य से की जा सकती है कि भारतीय मजदूर संघ के आगमन के पहले 'भारत माता की जय' का नारा भारतीय श्रम क्षेत्र में एकदम अपरिचित था। जब भारतीय मजदूर संघ ने पहली बार इस नारे को प्रस्तुत कर वर्गीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच की खाई को भरने का प्रयास किया तो मजदूरों ने आश्चर्य के साथ इसे देखा। मूलतः देशभक्त होने के कारण इस नारे को अपनाने में मजदूरों को किंचित भी देर नहीं लगी। भारतीय परम्परा के अनुसार राष्ट्रवाद की भावना में कुछ भी पृथक नहीं है। राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद या मानववाद वास्तव में मानवीय चेतना के स्वस्थ विकास की प्रक्रिया में एक के बाद एक आने वाले चरण हैं।

सन् १९५५ तक प्रचलित नारा था **"दुनियाँ के मजदूरो-एक हो"**, लोग यह नहीं समझते थे कि इस नारे को अगर अन्तिम तार्किक परिणति तक ले जाया गया तो यह समाज और राष्ट्र को वर्गों में विभाजित कर देगा। वास्तव में यह नारा विघटनकारी था। भारतीय मजदूर संघ ने इस नारे को अस्वीकार कर अपना नारा दिया **"मजदूरो दुनियां को एक करो"**। भारतीय मजदूर संघ ने देश भक्ति पर आधारित कुछ नये तथा अबतक अपरचित नारे भी प्रस्तुत किए। उदाहरण स्वरूप **"हमारी मांगें पूरी हों-चाहे जो मजबूरी हो"** के स्थान पर **"देश के हित में करेंगे काम-काम के लेंगें पूरे दाम"**, **"नया जमाना आयेगा-कमाने वाला खायेगा"** के स्थान पर **"नया जमाना आयेगा-कमाने वाला खिलायेगा"**। उसने अधिकारों और कर्तव्यों पर बराबर जोर दिया। वामपंथियों के लिए सबसे अधिक चौकाने वाला नारा था-**"बी०एम०एस० की क्या पहचान-त्याग, तपस्या और बलिदान"**।

भारतीय मजदूर संघ के उत्कट देश भक्ति का द्योतक विदेशी पूँजी के प्रति उसका सम्यक दृष्टिकोण था। उसने विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, सभी विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों के भारतीयकरण और लोकतंत्रीयकरण, विदेशी सहयोग समझौतों में से सभी प्रतिबन्धात्मक धाराओं की समाप्ति, सभी विदेशी ऋण वापसी पर प्रतिबन्ध, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से विदेशी पूँजी की क्रमशः समाप्ति और इच्छुक देश भक्त प्रवासी भारतीयों द्वारा पूँजी निवेश के अवसर प्रदान करने सम्बन्धी माँगें रखी। भारतीय मजदूर संघ पूर्ण राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए कटिवद्ध है।

भारतीय मजदूर संघ "**स्वरोजगार क्षेत्र**" को जिसे वह विश्वकर्मा क्षेत्र कहता है **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था** में मान्यता देने वाला पहला केन्द्र था। इसने स्वनियोजित क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत अलग विभाग खोलने का आग्रह किया।

उसने अपने तंत्रविदों का आहवान किया कि वे पूरे विश्व की औद्योगिक तकनीकी का पूरा अध्ययन कर उसे आत्मशात करें। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विदेशी तकनीकी के उपयुक्त भाग को खोजें और प्रयुक्त करें। कारीगरों के लाभ के लिए उत्पादन के परम्परागत तरीके में सरलता से अपनाने योग्य परिवर्तन यह ध्यान में रखकर प्रस्तुत करें कि मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ने का खतरा न हो, उपलब्ध व्यवस्थापकीय और तकनीकी कुशलता बर्बाद न हो और विद्यमान उत्पादन के साधनों का पूर्णतया विपूँजीकरण न हो। तथा उत्पादन की प्रक्रिया पर जोर देने वाली विद्युतचलित स्वदेशी तकनीकी का विकास करें, जिसमें उत्पादन का केन्द्र **'कारखाने'** के बजाय **'घर'** हो।

अध्याय ४

भारतीय मजदूर संघ का मौलिक दृष्टिकोण

भारतीय मजदूर संघ ने इस अवधारणा पर अपना विश्वास व्यक्त किया कि सभी प्रकार की सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी ईश्वर है। व्यवहारिक स्तर पर ही भारतीय मजदूर संघ ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत पूँजीवाद का एकमात्र विकल्प **'राष्ट्रीयकरण'** नहीं है, और न ही यह सभी औद्योगिक बीमारियों की एक मात्र रामबाण दवा है। स्वामित्व के कई प्रकार हैं जैसे:— **निगमीकरण, सहकारीकरण, लोकतंत्रीयकरण, संयुक्त उद्योग, संयुक्त क्षेत्र, स्वरोजगार** इत्यादि। भारतीय मजदूर संघ ने औद्योगिक स्वामित्व के प्रकारों पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का आग्रह किया। उसके अनुसार स्वामित्व के प्रकार का निर्धारण प्रत्येक उद्योग की विशिष्टताओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। **'पूर्ण राष्ट्रीयकरण'** और **'राष्ट्रीयकरण नहीं'** के दोनों छोरों को उसने ठुकरा दिया। भारतीय मजदूर संघ ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की प्रणाली जारी रखने के विरुद्ध अपना कड़ा विरोध प्रकट किया है। भविष्य में इस किस्म के मालिकों से छुटकारा पाना जरूरी है। यद्यपि यह एक तथ्य है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में अभी तक अनाविष्कृत उद्यम कौशल की प्रयत्न पूर्वक खोज की जरूरत है। यह भी सत्य है कि उद्यमियों की जिसमें कोई विशेष भूमिका नहीं है, उस ढाँचे में उनकी विशेष स्थिति को जारी रखना राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए हानिकर है। लिमिटेड कम्पनियों के निष्क्रिय साझेदार वास्तविक 'उद्यमकर्त्ता' के रूप में सक्रिय कार्य किए बिना ही उद्यमकर्त्ता का पद और सुविधायें भोगते हैं।

निश्चित उद्योगों के लाभ के लिए गरीब लोगों की अल्प बचत को औद्यो-

गिक पूँजी निवेश लगाने के लिए स्वायत्त वित्तीय संस्थाओं के संगठन का प्रतिपादन करते हुए भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि भविष्य में औद्योगिक ढाँचा स्वामित्व के वर्तमान ढाँचों के साथ-साथ जटिल होता जावेगा, लेकिन ज्यादा जोर उन उद्योगों की स्थापना पर देना होगा जिसमें–

साधारण लोगों	**द्वारा**	**धन लगाया गया हो।**
मजदूरों	**का**	**स्वामित्व हो।**
संस्थाओं	**द्वारा**	**देखभाल की जाय।**
यन्त्रविदों	**द्वारा**	**विकेन्द्रीकृत हो।**
विशेषज्ञों	**द्वारा**	**चलाया जाय।**
योजनाकारों	**द्वारा**	**समन्वित हो।**
संसद	**द्वारा**	**अनुशासित हो।**
राज्य	**द्वारा**	**सहायता प्राप्त हो।**
उपभोक्ताओं	**द्वारा**	**उपयोगित हो।**
धर्म	**द्वारा**	**शासित हो।**

'श्रमिकीकरण' शब्द को प्रस्तुत करने का श्रेय केवल भारतीय मजदूर संघ को ही है। उसने ही इस तथ्य पर जोर दिया कि नियोजकों की सभी श्रेणियों के अन्तर्गत औद्योगिक स्वामित्व के विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत मजदूरों के श्रम का मूल्यांकन अंशों (शेयरों) में होना चाहिए और मजदूरों को उनके श्रम को अंश मानकर अंशधारक के स्तर तक ऊपर ले जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के उद्घोषक के नाते भारतीय मजदूर संघ ने घोषित किया कि पूँजीवादी व्यवस्था में श्रम से अर्जित लाभ का व्यय और विनिमय (केवल अपने प्रति उत्तरदायी) नियोजक द्वारा, साम्यवादी व्यवस्था में (**पार्टी के प्रति उत्तरदायी**) राज्य द्वारा और भारतीय व्यवस्था में (**राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी**) मजदूरों द्वारा किया जाता है। अर्थात उत्पादन में बृद्धि के फलस्वरूप होने वाले लाभ का मुख्य भाग मजदूरों को मिलना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ ने घोषित किया कि श्रमिकों के विस्तार का आग्रिम कदम निम्नलिखित आधारों पर होना चाहिए—

मालिक–नौकर सम्बन्ध से प्रारम्भ होकर

अच्छा व्यवहार
संयुक्त परामर्श
संयुक्त व्यवस्थापन
स्वप्रबन्ध
स्वामित्व में साझेदारी
के माध्यम से
मजदूरों के स्वामित्व
तक

भारतीय मजदूर संघ पहला मजदूर संगठन था, जिसने मजदूरों के ध्यान में यह तथ्य लाया कि तकनीकी का उनसे और देश दोनों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। उसने बैलगाड़ी अर्थ-व्यवस्था के पुनरुज्जीवन के विरोध के साथ ही पूर्णतः पाश्चात्य तकनीकी के आरोपित करने का भी विरोध किया। उसने भारत के औद्योगिक मानचित्र को पुनः तैयार करने की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों की स्थिति, स्थान, आकार, प्रकार तथा तकनीकी के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने की माँग रखी।

इस पृष्ठ भूमि में भारतीय मजदूर संघ के इस नारे का अर्थ सही ढंग से समझने के लिए पर्याप्त है :—

उद्योगों का श्रमिकीकरण

श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण

राष्ट्र का औद्योगीकरण

अध्याय ५

भारतीय मजदूर संघ की दूरदृष्टि

भारतीय मजदूर संघ की दूरदर्शिता के प्रमाण कई मामलों में दिखाई देते हैं। हाल में ही, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल के विद्रोह के बाद कुछ राजनीतिक नेताओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सन् १९६९ में ही भारतीय मजदूर संघ ने अपने राष्ट्रीय माँग पत्र में – **सैनिक कर्मचारी २–पुलिस कर्मचारी ३–केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल ४–धार्मिक संस्थाओं के कर्मचारी ५–विदेशी सेवाओं के कर्मचारी और अधिकारी ६–सतर्कता विभाग के कर्मचारी ७–वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रशासकीय और व्यवस्थापकीय अधिकारी और ८–लाइसेन्सी मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र की मांग की थी।**

अपातकाल के बाद सरकार ने व्यस्थापकीय कर्मचारियों और शिक्षा संस्थाओं तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए विशेष कानून बनाने का विचार किया। व्यवस्थापकीय कर्मचारियों का उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है। एक दशक पूर्व ही भारतीय मजदूर संघ के माँग पत्र में माँग की गई थी कि शिक्षा संस्थाओं, समाज कल्याण संगठनों, घरेलू कर्मचारियों, अस्पतालों, मजदूरों की सहकारी संस्थाओं के अलावा अन्य सहकारी संस्थाओं, निर्माण कार्यों लघुउद्योग, कुटीर उद्योग, सीजनल उद्योग, रिक्शा खीचने वाले, मल्लाह, कृषि, बन, विभिन्न कलाओं की दुकानों और संस्थाओं, भूतपूर्व राजाओं और वकील, सालीसिटर तथा अन्य कानूनी एजेन्सी फर्मों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए विशेष औद्योगिक विवाद निस्तारण तंत्र का गठन किया जाना चाहिए। इन सभी मजदूरों को 'कामगार' की परिभाषा के तहत माना जाना चाहिए और उन्हें इण्डियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत सुरक्षा मिलनी चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के काफी पहले ही भारतीय मजदूर संघ ने आग्रह किया था कि रिजर्व बैंक की प्रकृति तथा ढाँचा बदल दिया जाये। उसके निदेशक मण्डल में नौकरशाह या राजनीतिज्ञ नहीं स्वतंत्र अर्थशास्त्री हों। करेन्सी और क्रेडिट की पूरी जिम्मेवारी वाला एक स्वायत्त मौद्रिक प्राधिकरण का गठन हो। इस प्राधिकरण को करेन्सी नियंत्रण के द्वारा मूल्य स्थिरता और क्रेडिट नियंत्रण के द्वारा पूर्ण रोजगार का उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसने बैंकिंग उद्योग के लिए एक विस्तृत वित्तीय सलाहकार सेवा के गठन का भी सुझाव दिया था। वर्ग सेवा बैंकिंग से जन सेवा बैंकिंग बनाने का दिशा निर्देश भी भारतीय मजदूर संघ ने ही दिया था।

भारतीय मजदूर संघ ही अकेला संगठन था जो सभी उद्योगों में दक्षतालेख (efficiency audit) और शीघ्र चेतावनी का आग्रह कर रहा था।

वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ-साथ व्यवसाय व उद्योगगत प्रतिनिधित्व देने की माँग भी इस संगठन की दूरदर्शिता का एक उदाहरण है। औद्योगिक मामलों में भारतीय मजदूर संघ के चिन्तन की मौलिकता, उसकी औद्योगिक परिवार की अवधारणा में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। भारतीय मजदूर संघ की अवधारणा के अनुसार औद्योगिक सम्बन्धों के सभी पक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे मिलकर एक औद्योगिक परिवार बनायें। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक बड़े और छोटे उद्योग या उनके ट्रेड ग्रुप के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मजदूरों, और व्यवस्थापकीय और तकनीकी कैडर तथा सेवायोजकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर औद्योगिक परिषद बनाये जाय। ऐसी औद्योगिक परिषदों को संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा स्वीकृति के बाद अपने उद्योगों की श्रमिक, व्यवस्थापकीय, तथा तकनीकी कैडर और पूँजी लगाने से सम्बन्धित नीतियों सहित–सभी विषयों को तय करने का अन्तिम अधिकार होगा। उद्योग में पूरी श्रमशक्ति, व्यवस्थापकीय तथा तकनीकी कौशल और पूँजी राष्ट्रीय या राज्य औद्योगिक परिषद के नियंत्रण में होगी, ताकि वे उन्हें अपने काम के लिए और साथ ही उत्पादन तथा रोजगार लक्ष्य, तकनीकी का स्तर, वेतन नीति, आयात और निर्यात इत्यादि के निर्णयों तक पहुँचने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रयुक्त कर सकें। प्रत्येक औद्योगिक परिषद राष्ट्र द्वारा निर्धारित किये गये उद्देश्य और लक्ष्य के लिए काम करेगी और राष्ट्र द्वारा निर्धारित अनुशासन के अनुसार अन्य उद्योगों की औद्योगिक परिषदों के साथ अपने क्रियाकलाप

समन्वित करेगी। इस उद्देश्य से वह समय-समय पर अपने विधान का पुनरीक्षण और आवश्यक संशोधन करेगी तथा उद्योग में कार्यरत फर्मों, इकाइयों, ग्रुपों, और व्यक्तियों के आन्तरिक सम्बन्धों का पुनर्निर्धारण करेगी। मजदूरों, तकनीकी कौशल, पूंजी, उपभोक्ता की जरूरतों, शोध और विकास की आवश्यकताओं, योजना प्राथमिकताओं और राज्य के प्राप्य के लिए वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी गयी आय वितरण की योजना का पालन करेगी।

इस प्रकार गठित औद्योगिक परिषदों का यह निश्चित करना कर्तव्य होगा कि यंत्रीकरण, अभिनवीकरण (रेशनलाइजेशन), आधुनिकीकरण या स्वचालितीकरण के फलस्वरूप किसी मजदूर की छंटनी न की जाये, जब तक कि उसे उसी उद्योग में या दूसरी संस्था में, नौकरी की सातत्य में व्यवधान न डालते हुए वैकल्पिक रोजगार न दे दिया जाय। प्रत्येक औद्योगिक परिषद हर मजदूर और उसके परिवार का पूरा ध्यान रखेगी और स्वाभाविक दिशा में उसके विकास का पोषण करेगी, उसका रोजगार कभी नहीं छीना जायेगा या जीवन की बुनियादी जरूरतों के अभाव में उसे कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।

अपनी दैनिक जीविका के लिये उद्योग पर निर्भर सभी लोगों को एक विशाल संयुक्त औद्योगिक परिवार का सदस्य माना जायेगा और मजदूरों, उनके बच्चे, बूढ़ों, बीमारों, विधवाओं, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग आदि को, जो इस औद्योगिक परिवार के स्वाभाविक सदस्य हैं, परिवार की सामाजिक सुरक्षा का आश्रय प्राप्त होगा। औद्योगिक परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने सदस्य मजदूरों के बच्चों को, जब तक वे स्वयं दूसरा काम न चुने, उसी उद्योग में ही काम दें।

इस प्रकार इस अनुशासन के तहत कार्यरत औद्योगिक परिवार अपने घटक सदस्यों को भौतिक आश्रय देगा और उनकी सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं और जीवनोद्देश्यों की पूर्ति के लिये उचित अवसर दिलायेगा।

भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत मजदूरों का राष्ट्रीय मांगपत्र एक वैशिष्ट पूर्ण दस्तावेज है। इस मांगपत्र में मजदूरों की सभी मांगों को "कर्तव्यों तथा अनुशासनों का व्यवस्थाक्रम" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथ्य यह है कि हमारी आबादी के एक वर्ग की मांग समाज के दूसरे किसी सम्बन्धित

वर्ग या अंग के लिये कर्तव्य या अनुशासन है । द्वितीयत: इसमें यह भी निहित है कि इस सम्बन्ध में नियोजक और प्रशासक के नाते निजी नियोजक और राज्य जहां सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायित्व के मुख्य भार का वहन करेंगे, वहीं समाज के अन्य वर्गों, अंगों और संस्थाओं, जैसे स्थानीय स्वशासी संस्थायें, विश्वविद्यालय, समाचारपत्र, सामाजिक संगठनों इत्यादि का भी मजदूरों के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य है ।

यह मांग-पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय मजदूर संघ केवल तात्कालिक समस्याओं के समाधान का ही प्रयास नही कर रहा है, बल्कि भावी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का क्रमश: ढांचा भी विकसित करने का प्रयास कर रहा है ।

अध्याय ६

भारतीय मजदूर संघ का क्रमिक विकास

धीरे-धीरे भारतीय मजदूर संघ की ताकत बढ़ने लगी। पेशेवर नेताओं से मजदूरों की निराशा और नए संगठन के प्रति उनकी उत्सुकता, और नई यूनियनों और फेडरेशनों का गठन, राज्य इकाइयों का संगठन, तरुण, आदर्श-वादी अनुशासित कार्य-कत्ताओं का सामने आना, प्रशिक्षण, नई विचारधारा का क्रमश: प्रचार व प्रसार, कुछ छोटे और बड़े संस्थाओं में मान्यता, राज्य स्तर की समितियों में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि का शामिल किया जाना, कुछ राज्य सरकारों द्वारा मान्यता, विशेष त्रिपक्षीय वार्ताओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आमंत्रण, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल०ओ०) के श्रमिक–प्रतिनिधि मण्डल में भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि शामिल किया जाना, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के आमंत्रण पर उसके मनोनीत व्यक्तियों द्वारा विदेश यात्राएँ, और अन्तत: प्राप्त सूचना के आधार पर श्रम मंत्रालय द्वारा यह घोषणा कि संख्या बल की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ केन्द्रीय मजदूर संगठनों में तीसरा है, यह हमारे विकास का अभी तक का क्रम रहा है।

सन् १९५५ से ६४ के दशक में, किसी संघर्ष में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये गए स्वैक्षिक समर्थन को सम्बंधित यूनियनें एक बोझ समझती थी। सन् १९६० में हड़ताली केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सहयोग देने को भारतीय मजदूर संघ अन्य सहयोगी संगठनों से आगे ही रहा है।

सन् १९६३ मे बम्बई बन्द के सफल आयोजन में भारतीय मजदूर संघ सहयोगी की भूमिका निभाने वाला छोटा साझेदार था। सन् १९६८-६९ में केन्द्रीय सरकार के दण्डित कर्मचारियों के लिए बनाई गई केन्द्रीय श्रम संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति में वह बराबरी का सदस्य बना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई०एल०ओ०) को दिये गए भारतीय मजदूरों के माँगपत्र का हस्ताक्षरकर्त्ता भी बना जो उसके आग्रह पर ही तैयार किया गया था।

सन् १९७४ में इससे सम्बद्ध यूनियनें रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल कराने वाली एन०सी०सी०आर०एस० के दो प्रमुख घटकों में से एक थी। आपात-काल में तानाशाही के प्रतिरोध में मजदूरों को संगठित करने में उसका प्रमुखतम हिस्सा था। इमरजेन्सी के बाद के काल में, सरकार के मजदूर विरोधी

नीतियों से लड़ने के लिए लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन केन्द्रों द्वारा बनाए गए प्रत्येक संयुक्त मोर्चे का यह अपरिहार्य अंग बन गया। इन समस्त कालखण्डों में केन्द्र या राज्य स्तरों पर सरकार और सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन के बावजूद इसने अपनी पूर्व घोषित प्रत्युत्तरदायी सहयोग की नीति का ईमानदारी के साथ पालन किया है।

सन् १९६२, १९६५ और १९७१ के राष्ट्रीय युद्ध के प्रयासों में इसने बिना शर्त पूर्ण सहयोग व समर्थन दिया है। राष्ट्रीय संकट के इन कालखण्डों में इसने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया है कि वे राष्ट्र के लिए प्रत्येक सम्भव वलिदान करें। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं के आत्म वलिदान की भावना का दर्शन उन समयों में भी हुआ है जब देशवासी अकाल व तूफान आदि प्राकृतिक विपत्तियों के शिकार हुये हैं।

राष्ट्र के लिए अर्पित

सभी संगठित उद्योगों में विभिन्न पैमानों पर फैले अपने २४ राष्ट्रीय फेडरेशनों और १३ लाख की कुल सदस्यता सहित भारतीय मजदूर संघ अब उड़ान भरने की सन्नद्ध स्थिति में पहुँच गया है। हाल में ही इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित मजदूरों के अनौपचारिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। इसके नियमित सम्बद्ध महासंघों के अलावा भी भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन के रूप में कान्फेडरेशन आफ सेन्ट्रल एण्ड स्टेट गवर्नमेन्ट इम्पलाइज भी है, जिसकी सदस्यता लगभग दस लाख है। सरकारी क्षेत्र में कम्युनिष्टों के एकाधिकार को उसने पहली बार जबरदस्त धक्का दिया है। भारतीय मजदूर संघ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसकी संख्यात्मक सदस्यता की तुलना से कहीं अधिक है। अनिवार्य व्यवहारिक कारणों से जो देशभक्त कार्यकर्त्ता लाल यूनियनों को तत्काल छोड़ने की स्थिति में नही हैं। वह भी इस बात पर आश्वस्त हैं कि भारतीय मजदूर संघ ही देश की सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मजदूर शक्ति के लिए आशा की किरण है और भारतीय मजदूर संघ के आदर्शवादी कार्यकर्त्ता आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जब तक हमारी परिश्रमी जनता के प्रयासों द्वारा भारत विश्व में प्रथम श्रेणी का महान राष्ट्र न बन जाय।

उनका ध्येय वाक्य है——

इदम् राष्ट्राय——इदम् न मम्

(यह सब कुछ राष्ट्र के लिये है--मेरे लिये नहीं)